[illegible]

[illegible]

([illegible] 24 [illegible] 6—1 [illegible])

आज अदालत सहायक कलेक्टर एवं [illegible] [illegible]

में इजलास [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible]

वादीगण—

1. भंवरलाल पुत्र भुलाराम जाति [illegible], निवासी [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

बनाम

प्रतिवादीगण —

1. गीता देवी पत्नी भुलाराम
2. सुप्याशी पुत्री भुलाराम
3. ठीकुराम पुत्र मिरमाराम
4. बाली पत्नी हीराराम
5. कैलाश पुत्र हीराराम जातिगण [illegible], निवासीगण [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
6. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :—

1. श्री मुन्नीलाल [illegible] व [illegible] [illegible] की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के निमित्त [illegible]।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजकीयकार [illegible]।

धारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible]

— : निर्णय आदेश : —

यह मुकदमा आज पारते इजलास [illegible] व [illegible] के [illegible] अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुकदमे प्रतिवादी संख्या 6 [illegible] होकर हुक्म दिया जाता है कि — यह [illegible] धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] खेड़ा के खेत खसरा नंबर 104 में वादी भंवरलाल को [illegible] किया जाता है।

1. वादी भंवरलाल के हक में [illegible] रकबा 2 बीघा रखा जाकर खातेदार [illegible] किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के कोई हक नहीं रहा [illegible] से 5 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना [illegible] में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 12/10/2004 को सर [illegible] कर सरे इजलास सुनाया गया।

([illegible])

सहायक कलेक्टर एवं [illegible]

जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner